मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-12.11.2015 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C. /L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में समभव (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर मामलों की तुलना में शपथ-पत्र दायर किए गये मामलों की संख्या में वर्तमान माह में काफी आयी है। विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन के अनुसार गत माह 2826 के मुकाबले दायर किए गए जबकि 1929 मामलों में ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। इस प्रकार प्रतिशपथ-पत्र दायर किए जाने की संख्या में कमी आने की प्रवृति पर मुख्य सचिव, बिहार द्वारा चिंता व्यक्त किया गया।

3. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा लंबित CWJC एवं MJC के मामलों में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर चर्चा किया गया। CWJC के मामलों में **समाज कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग** शामिल है। इसी प्रकार MJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग** शामिल है।

3. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा लंबित CWJC एवं MJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर चर्चा किया गया। CWJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं पथ निर्माण विभाग** शामिल है। इसी प्रकार MJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं पंचायती राज विभाग** शामिल है।

4. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा वैसे विभाग जहँ CWJC/MJC के सर्वाधिक मामले लंबित हैं पर चर्चा किया गया। CWJC के मामले में **गृह विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, समाज कल्याण विभाग** शामिल है इसी प्रकार MJC के मामले में **गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** शामिल है।

5. बैठक में IWDMS के संबंध में चर्चा करते हुए बताया गया कि IWDMS के माध्यम लंबित मामलों की 2012 से पूर्व की वार्षिक सूची उपलब्ध नही है। इस संबंध में लंबित मामलों की वार्षिक सूची बेवसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा दिया गया।

6. बैठक में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में चर्चा करते हुए बताया गया कि किसी मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश किए जाने के पश्चात् उक्त आदेश के आलोक में राज्य सरकार के स्तर से क्या कार्रवाई किया जाना है, इसकी सूचना आदेश पारित किए जाने के अगले दिन ही संबंधित विभाग को प्राप्त होना चाहिए, अत: इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा यह निर्देश दिया गया कि महाधिवक्ता बिहार को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई के संबंध में मंतव्य के साथ उक्त आदेश की प्रति संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

7. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने वाले मामलों में अपील दायर करने में एक माह से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। साथ ही इसकी समीक्षा समय समय पर किया जाना चाहिए

8. बैठक में बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के संबंध में चर्चा करते हुए बताया गया कि उक्त नीति के तहत विभागों/कार्यालयों में वांछित पदों पर नियुक्ति नहीं किया गया है। इस कारण लंबित मामलों की सही समीक्षा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विधि विभाग को निर्देश दिया गया कि विभागों में विधि पदाधिकारियों को नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

9. बैठक में लंबित मामलों में विभागों की तरफ से तथ्य विवरणी दायर किए जाने के संबंध में चर्चा किया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बताया गया कि कई मामलों में संबंधित अधिवक्ता के द्वारा तैयार किये तथ्य विवरणी गलत/अपूर्ण रहने के बावजूद उक्त तथ्य विवरणी के आधार पर माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र दायर कर दिया जाता है। इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विश्लेषण करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए कि दायर तथ्य विवरणी सही एवं पूर्ण हो।

10. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में राज्य सरकार के विरुद्ध लंबित मामलों की सही रूप से समीक्षा करने हेतु विधि विभाग को निर्देश दिया गया कि महाधिवक्ता, बिहार के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में कार्यरत सभी विधि पदाधिकारियों के पास लंबित वादों की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु मांग किया जाए।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

23/11/15

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7443 जे0 पटना, दिनांक- 25-11-15

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.11.15

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7443 जे0 पटना, दिनांक- 25-11-15

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.11.15

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार